न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2015 रिवीजन

1. कपूरी बाई बेबा मनसींगा आयु 55 साल, व्यवसाय गृहकार्य
2. श्रीमती नारानी बाई पत्नी श्री गनपत सिंह , पुत्री स्व. श्री मनसींगा , आयु 40 साल, व्यवसाय गृहिणी , समस्त निवासीगण ग्राम सीहोर तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदिकागण

बनाम

गजराम सिंह पुत्र छतर सिंह यादव निवासी ग्राम सीहोर तहसील ईसागढ जिला अशोक नगर म.प्र.

..... अनावेदक

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग ईसागढ जिला अशोक नगर के प्रकरण क्रमांक 28 / अपील / 2013– 14 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2015 से परिवेदित होकर ।

माननीय न्यायालय ,

आवेदिकागणों की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार ईसागढ के समक्ष वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण क्रमाक 43 / अ–6 / 2003–04 था जिसमें न्यायालय द्वारा अनावेदक का नामान्तरण आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2014 को निरस्त करते हुए आवेदिकागण का नामान्तरण किया गया ।

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3130–एक/2015 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-7-16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, ईसागढ़ जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 28/2013–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–8–2015 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त नईसराय तहसील ईसागढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत बसीयतनामा के आधार पर परमोवाई पत्नि किसना (बिना ओलाद) मृतक के नाम भूमि ग्राम सीहोर सर्व्रे नंबर 958 रकबा 0.627 हैक्टर, सर्वे कमांक 885 रकबा 0.314 हैक्टर, सर्वे कमांक 555/7 रकबा 0.500 हैक्टर के हिस्सा 1/2 रकबा 0.250 हैक्टर पर नामान्तरण की मांग की । नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 43 अ–6/ 2003–03 पंजीबद्व किया । इसी भूमि पर नामान्तरण हेतु महिला कपूरी वाई ने भी मृतक महिला परमोवाई के पुत्र की पत्नि होना बताते हुये नामान्तरण की मांग, जिस पर नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 44 अ–6/2003–04 पंजीबद्व किया। नायव तहसीलदार वृत्त नईसराय तहसील ईसागढ़ ने दोनों प्रकरणों को सॅयुक्त कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30–11–2004 पारित किया तथा महिला कपूरीवाई एंव तथा नारानीवाई का वारिसाना हक पर समानरुप से नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने	

अनुविभागीय अधिकारी, ईसागढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 28/2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20-8-2015 से अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव तथा अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त नईसराय तहसील ईसागढ़ ने दोनों प्रकरणों को सॅयुक्त कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30-11-2004 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ के समक्ष दिनांक 17-3-2005 को अपील प्रस्तुत हुई है अर्थात 108 दिवस के विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई है जबकि तत्समय संहिता की धारा 44 सहपठित 47 में इस हेतु 45 दिवस की समयावधि निर्धारित रही है 107-45= 63 दिवस विलम्ब से अपील है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब क्षमा किए जाने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन एंव शपथ पत्र भी नहीं दिया है। अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा करने में यह माना है कि अनावेदक के अभिभाषक को नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 7-12-04 को नोट कराया है एंव प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने में व्यतीत समय 7-12-04 से 10-3-05 यानि 92 दिन कम करने पर अपील समयावधि में है इसलिये अवधि विधान

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3130–एक/2015 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्ष

की धारा–5 के आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

मैंने नायव तहसीलदार वृत्त नईसराय तहसील ईसागढ़ के प्रकरण कमांक 43 अ–6/2003–04 की आर्डरशीट दिनांक 18–11–2004 का अवलोकन करने पर पाया कि आर्डरशीट इस प्रकार लिखी गई है :–

" प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष अभि0 उप0 । तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण वास्ते आदेशार्थ । "

यह आर्डरशीट दोनों पक्षकारों के अभिभाषकों ने टीप की है एंव आदेश दिनांक 30–11–2004 को पारित हुआ है। तब दिनांक 7–12–2004 को आदेश टीप करने जाना तथा आदेश की जानकारी समय–समय पर प्राप्त न करना पक्षकार की लापरवाही का द्योतक है जिसके कारण अपने अधिकार एंव कर्तव्यों के प्रति जागरूक न रहने वाले पक्षकार को अनुचित लाभ दिया जाना , दूसरे पक्षकार को हानि पहुंचाना माना जायेगा । इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा उक्त सम्बन्ध में निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं माना जा सकता।

5/ अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा करने के लिये दूसरा आधार यह लिया है कि दिनांक 7–12–04 को प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन देने पर दिनांक 10–3–2005 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने से प्रस्तुत अपील समयावधि में है।

अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ के प्रकरण कमांक 28/2013–14 अपील में नायव तहसीलदार के आदेश

दिनांक 30–11–2004 की प्रमाणित प्रतिलिपि पृष्ठ 25 से 27 तक संलग्न है पृष्ठ 27 के पीठ पृष्ठ पर हैड कापिस्ट व्दारा अंकित है कि प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन 7–12–2004 को दिया गया तथा 14–12–2004 उसे प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करने हेतु तिथि दी गई, किन्तु 14–12–04 को प्राप्तकर्ता के न आने से प्रतिलिपि 10–3–05 को प्रदान की गई।

म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 धारा–47 – प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता को दी गई तिथि को प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अनुपस्थित – म्याद की गणना प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिये गये आवेदन के दिनांक से प्रदान करने हेतु दी गई तिथि तक की जावेगी।

अतएव प्रमाणित प्रतिलिपि में व्यतीत समय 7–12–2004 तथा प्रतिलिपि प्रदान करने हेतु उपस्थिति हेतु नियत तिथि अर्थात दिनांक 14–12–2004 केवल आठ दिवस अनावेदक के हित में मुजरा होंगे। इस प्रकार 107–45 = 63–8 दिवस = 55 दिवस विलम्ब से अपील प्रस्तुत होना पाई गई है एंव विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है अपितु गलत आधार बताते हुये अपील में हुये विलम्ब को क्षमा कराया जाना पाया गया है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)–47– एंव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। (स्टेट आफ एम0पी0 विरुद्ध सवजीराम 1995 (2) म0प्र0वी.नो0 193 से अनुसरित)

3. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 – विलम्ब क्षमा

किये जाने के समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाई गई। विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता।
(स्टेट आफ एम.पी. बनाम फकीरचंद 1980(2) म0प्र0वी0नो0 199 एंव स्टेट आफ एम.पी. बनाम रामप्रकाश शर्मा 1989 जे.एल.जे. 36 एम.पी. से अनुसरित

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 28/2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20-8-2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 43 अ-6/2003-03 में थिा प्रकरण कमांक 44 अ-6/2003-04 में पारित सँयुक्त आदेश दिनांक 30-11-2004 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य